



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 138 राँची, शुक्रवार,

21 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

25 फरवरी, 2025

संख्या- 03/नि०सं०-09-148/2014 का. 1105--श्री शिवनारायण यादव, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 765/03) ने उनके विरुद्ध दर्ज करीं थाना कांड सं० 04/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनसे कनीय पदाधिकारियों को प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से उन्हें भी सभी पदों पर वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया है।

2 उल्लेखनीय है कि श्री यादव का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करीं, देवघर की कार्यावधि में योजना संबंधी कार्य की जानकारी देने के क्रम में पंचायत समिति सदस्य, रानीडीह पंचायत (आदिवासी महिला) के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के लिए श्री यादव के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम- 1989 की धारा-3 के अन्तर्गत करीं थाना कांड संख्या 04/2012 दिनांक 15.01.2012 दर्ज किया गया था।

3. उक्त कांड में विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं० 109 दिनांक 10.11.2012 के द्वारा श्री यादव के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा इनके विरुद्ध माननीय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, मधुपुर के न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 78/12 दिनांक 31.12.2012 समर्पित किया गया था।

4. श्री यादव के विरुद्ध एक अन्य मामले में मनरेगा योजनाओं में नियम विरुद्ध अग्रिम राशि भुगतान करने, पहला अग्रिम का समायोजन के बिना उसे दूसरा अग्रिम देने तथा मनरेगा अधिनियम-2005 का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 9681 दिनांक 05.11.2015 द्वारा श्री यादव को निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया। यह दण्ड दिनांक 04.11.2016 तक प्रभावी था ।

5. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.01.2016 तथा दिनांक 25.09.2020 को आहूत की गई थी ।

6. श्री यादव के विरुद्ध करौं थाना कांड संख्या 04/2012 दर्ज रहने तथा उक्त कांड में आरोप पत्र संख्या 78/12 दिनांक 31.12.2012 समर्पित रहने के कारण विभागीय प्रोन्नति की उपरोक्त बैठकों में विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-2 (ii) के आलोक में श्री यादव के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखने की प्रक्रिया अपनायी गई ।

7. करौं थाना कांड सं० 04/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2024 को पारित न्यायादेश में श्री यादव को दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या 5887 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा श्री यादव से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया गया है ।

8. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफ में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी ।

9. अतएव अपर समाहर्ता कोटि में प्रोन्नति से संबंधित दिनांक 04.01.2016 तथा दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में संधारित श्री यादव के संबंध में अनुशंसा से संबंधित मुहरबंद लिफाफे को खोला गया ।

दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्री यादव के संबंध में की गई अनुशंसा निम्नवत है :-

"दण्ड प्रभावी रहने एवं यथेष्ट गोपनीय चारित्र्य अभियुक्ति के अनुपलब्धता के कारण प्रोन्नति के अयोग्य ।"

दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्री यादव के संबंध में की गई अनुशंसा निम्नवत है :-

"प्रोन्नति के योग्य ।"

10. विभागीय पत्रांक 7341 दिनांक 14.08.2015 की कंडिका-11 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में मात्र तीन वर्षों की अभियुक्तियाँ प्रतिवेदन उपलब्ध हो तथा गत वर्ष की गोपनीय अभियुक्ति / परफोरमेंस मूल्यांकन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो तो इनका अवलोकन कर इनके आधार पर भी प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाएगा ।

11. दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हेतु तैयार किये गये विचारण सूची के अनुसार श्री यादव का मात्र 8 माह का गोपनीय अभियुक्ति/परफोरमेंस मूल्यांकन प्रतिवेदन ही उपलब्ध था। साथ ही, विभागीय संकल्प संख्या 9681 दिनांक 05.11.2015 द्वारा श्री यादव के विरुद्ध अधिरोपित निन्दन का दण्ड दिनांक 04.11.2016 तक प्रभावी था ।

12. अतएव दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा की गई उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में श्री यादव को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति अनुमान्य नहीं है। अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री यादव के संबंध में किये गये अनुशंसा के आलोक में श्री यादव को प्रोन्नति अनुमान्य है ।

13. दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में श्री शिवनारायण यादव, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 765/03) से कनीय मो० शब्बीर अहमद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-771/03) को विभागीय अधिसूचना सं० 6089 दिनांक 28.09.2021 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 6128 दिनांक 01.11.2023 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-12) में दिनांक 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

-मो० शब्बीर अहमद, झा०प्र०से० को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ विभागीय अधिसूचना सं० 6089 दिनांक 28.09.2021 के आलोक में नवप्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य किया गया है ।

14. अतएव श्री शिवनारायण यादव, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 765/03) को उनसे कनीय मो० शब्बीर अहमद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-771/03) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-12) में प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति की तिथि 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति अनुमान्य है ।

15. विभागीय संकल्प संख्या 3286 दिनांक 04.04.2014 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (लेवल-12) से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (लेवल-13) में प्रोन्नति हेतु 05 वर्ष की कालावधि निर्धारित है ।

उपरोक्त संकल्प की कंडिका-2 में प्रावधानित है कि छूट का लाभ उन मामलों में देय नहीं होगा जहाँ प्रोन्नति में विलम्ब के लिए संबंधित पदाधिकारी ही दोषी हों अथवा प्रोन्नति नहीं मिलने का मुख्य कारण विभागीय कार्यवाही या फौजदारी मुकदमों का विलम्ब रहना हो।

16. श्री यादव के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 9681 दिनांक 05.11.2015 द्वारा अधिरोपित निन्दन का दण्ड दिनांक 01.11.2016 तक प्रभावी रहने तथा यथेष्ट गोपनीय चारित्रि अभियुक्ति के अनुपलब्धता के कारण अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उनकी प्रोन्नति में विलम्ब हुआ है।

श्री यादव के विरुद्ध आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 354 एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम- 1989 की धारा-3 के अन्तर्गत करौं थाना कांड संख्या 04/2012 दिनांक 15.01.2012 भी दर्ज था तथा उक्त कांड में माननीय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, मधुपुर के न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 78/12 दिनांक 31.12.2012 समर्पित था।

अतएव श्री यादव को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु कालावधि में छूट का लाभ अनुमान्य नहीं है।

17. दिनांक 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री यादव संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु 5 वर्ष की कालावधि दिनांक 24.09.2025 को पूरा करते हैं, जबकि श्री यादव दिनांक 31.01.2022 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

18. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री शिवनारायण यादव, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 765/03) को उनसे कनीय मो० शब्बीर अहमद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-771/03) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-12) में प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति की तिथि 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान किया जाता है।

19. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में वैचारिक प्रोन्नति की अवधि के लिए बकाया वेतन देय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश,

चिन्दु दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
